उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग- 2
संख्या 891 / XXX (2) / 2013-55(26)2002
देहरादून, 13 अगस्त,2013

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल 'भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ- 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम ''उत्तराखण्ड सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2013 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 7 का प्रतिस्थापन 2. उत्तराखण्ड सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003 जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम-7 खण्ड (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) ड्राइवर- सीधी भर्ती ग्रेड-4 द्वारा	(1) ड्राइवर- सीधी भर्ती द्वारा ग्रेड-4 परन्तु यह कि समूह ''घ'' के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कार्मिक जो नियम 11 में विहित प्राविधिक तथा शैक्षिक अर्हता रखते हों, सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पदों पर निम्न चयन प्रकिया के आधार पर नियुक्त किये जायेंगे । **चयन प्रकिया-** वाहन चालक के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो, उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कर्मचारी जिन्होंने निरंतर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' से भर्ती के लिए, आरक्षित रिक्तियों पर चयन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर 100 अंकों की एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा, जिसमें 40 अंकों की सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा

Driver Niyamavali 4th Amendment

क्रमांक 506
दिनांक 26-8-13

होगी। पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे तथा 50 अंकों की ड्राइविंग परीक्षा होगी ।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबंध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती पर लागू नहीं होंगे।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत),
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्याः 178 /XXX(2)/2008
देहरादूनः दिनांकः 11 फरवरी ,2008

अधिसूचना संख्या 178 /XXX(2)/2008 दिनांक 11 फरवरी, 2008 को प्रख्यापित "उत्तराखण्ड सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2008 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ/ समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड ।
8. निदेशक,उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल ।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की (हरिद्वार) को नियमावली की हिन्दी, अंग्रेजी प्रतियों को संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित करा कर इसकी 100 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(चन्द्रशेखर भट्ट)
अपर सचिव ।

स्थापना
6/3/2

1530
18-2

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 178 /XXX(2)/2008
देहरादून,दिनांक 11 फरवरी, 2008

अधिसूचना

प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2008

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (द्वितीय संशोधन)नियमावली, 2008 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 9 के खण्ड (ग) की टिप्पणी एवं नियम 17 के उप नियम(2) एवं (3) का प्रतिस्थापन– 2.उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003 में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए वर्तमान नियम 9 (ग) के अंत में अंकित टिप्पणी एवं नियम 17 के उपनियम (2) एवं (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया टिप्पणी/उप–नियम रख दिया जायेगा अर्थात:–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम/उप–नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम/उप–नियम)
9. (ग) टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।	9. (ग)टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।
17.(2) सीधे या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन–पत्रों की संवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जो ऐसे व्यक्तियों को जो इस नियमावली के अधीन अर्ह हों, साक्षात्कार और ड्राईविंग परीक्षा के लिये बुलायेगा :	17.(2) सीधे या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन–पत्रों की संवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी चयन समिति ऐसे व्यक्तियों को, जो इस नियमावली के अधीन अर्ह हों, लिखित परीक्षा और ड्राइविंग परीक्षा के लिये बुलायेगी ।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्याः 178 /XXX(2)/2008
देहरादूनः दिनांकः 11 फरवरी ,2008

अधिसूचना संख्या 178 /XXX(2)/2008 दिनांक 11 फरवरी, 2008 को प्रख्यापित "उत्तराखण्ड सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2008 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ/ समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड ।
8. निदेशक,उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल ।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की (हरिद्वार) को नियमावली की हिन्दी, अंग्रेजी प्रतियों को संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित करा कर इसकी 100 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(चन्द्रशेखर भट्ट)
अपर सचिव ।

स्थापना
6/3/12

1580
18-2

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति शैक्षिक अर्हता एवं वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाइसेन्स की अवधि के आधार पर इतने आवेदकों को ड्राईविंग परीक्षा के लिए बुलायेगी जितना वह उचित समझे।

(3) चयन समिति साक्षात्कार और ड्राईविंग परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार और ड्राईविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता को उनकी आयु के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(3) (एक) चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 25 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी तथा 75 अंकों की ड्राइविंग परीक्षा होगी। प्रवीणता सूची, लिखित परीक्षा व ड्राइविंग परीक्षा के प्राप्तांकों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी ।

(दो) 25 अंकों की लिखित परीक्षा में वाहन चालन व सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। कुल 25 प्रश्न पूछे जायेंगे व प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा । प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा ।

(तीन) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् ,अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी ।

(चार) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी ।

(पांच) लिखित परीक्षा के पश्चात् ,लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) उत्तराखण्ड की वैबसाइट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित की जायेगी।

(छः) उपरोक्त खण्ड (एक) के अधीन लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त हो जाने, और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात्, आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, ड्राइविंग परीक्षा आयोजित की जायेगी। ड्राइविंग परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या की छःगुना होगी। ड्रायविंग परीक्षा 75 अंकों की होगी।

(सात) चयन समिति लिखित परीक्षा एवं ड्राइविंग परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा व ड्राइविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से

प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा । यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम चयन समिति योग्यता कम में ऊपर रखेगी । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(आठ) नियुक्ति प्राधिकारी, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और ड्राइविंग परीक्षा के प्राप्तांकों को उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित करेगा।

आज्ञा से,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव ।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **no.** 178 **/ XXX(2)/2008**, dated 11 February, 2008 for general information:

Government of Uttarakhand
Personnel Section-2
No. 178 **/ XXX(2)/2008,**
Dehradun, Dated, 11 February, 2008

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttaranchal Government Department Drivers Service Rules, 2003 :--

THE UTTARAKHAND GOVERNMENT DEPARTMENT DRIVERS SERVICE , (SECOND AMENDMENT) RULES, 2008

Short title and commencement

1. (1) These Rules may be called, The Uttarkhand Government Department Driver's Service (Second Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of note of clause (c) of rule 9 and sub-rule (2) and (3) of rule 17

2. In 'The Uttaranchal Government Department Drivers Service Rules, 2003 for the existing note of clause (c) of existing Rule 9 and sub- rule (2) and (3) of rule 17 set out in column-1 below, the note and sub-rules as set out in column-2 shall be substituted, namely ;

Column-1 (Existing note/sub-rule)	Column-2 (Note/sub-rule as hereby substituted)
9. (c) NOTE -- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.	9.(c) NOTE -- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.
17 (2) The applications received directly or through the Employment Exchange shall be scrutinised by the appointing authority who shall call for an interview and driving test	(2) The applications, received directly or through the Employment Exchange shall be scrutinised by the Appointing Authority. The Selection Committee shall call for written examination and driving test

to such persons as appear qualified under these rules :

Provided that for the purpose of direct recruitment the selection committee shall call such number of applicants on the basis of educational qualification and length of period of valid driving licence for interview and driving test as it may consider fit.

(3) The Selection Committee shall, after the interview and driving test, prepare a list of candidates in order of their profiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by them in interview and driving test. If two or more candidates obtain equal marks, the Selection Committee shall arrange their names in order of merit on the basis of their age of general suitability for the post. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than 25%) than the number of the vacancies. The selection commitee shall forward the list to the appointing authority.

such persons, who are eligible under these rules.

(3)(i) The test for selection shall be of 100 marks out of which there shall be a written examination carrying 25 marks and the driving test of 75 marks. The merit list shall be prepared on the basis of the aggregate of the marks obtained in the written examination and the driving test.

(ii) Written examination of 25 marks shall consist of objective type questions on Motor Driving and General Knowledge. There will be 25 questions in all and each question shall carry one mark. One mark shall be awarded for every correct answer and 1/4 mark shall be deducted for every incorrect answer as negative marking.

(iii) After the examination is over the candidates shall be permitted to carry back the Question Booklet of the written examination with them.

(iv) The Answer Sheet of the written examination shall be in duplicate(including the carbon copy) and the candidates shall be permitted to carry back the duplicate copy with them.

(v) After the written examination, the Answer Key of the written examination shall be displayed on the Uttarakhand website www.ua.nic.in

(vi)After the results of the written examination,

उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003

कार्मिक अनुभाग—2

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की
2003

उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 590 / कार्मिक–2 / 2003–55 (26) / 2002

देहरादून, 13 मई, 2003

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003

भाग–1

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली "उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

इन नियमों का लागू होना

3. यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन श्री राज्यपाल की नियमावली बनाने की शक्ति के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवरों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

4. यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में दी गयी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

5. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर के पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से है;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(ग) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य की सरकार से है;

(ङ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संबंध में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "सेवा" का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यकारी अनुदेशों के अधीन गठित ड्राइवर सेवा से है;

(छ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ज) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग—2

संवर्ग

सेवा का संवर्ग

6. प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय में सेवा की सदस्य संख्या, उतनी होगी जितनी यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन समय–समय पर सरकार द्वारा, अवधारित की जाए।

भाग—3

भर्ती

भर्ती का स्रोत

7. सेवा में किसी पद पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

आरक्षण

8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग—4

अर्हताएं

राष्ट्रिकता

9. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले :

(च) "सेवा" का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यकारी अनुदेशों के अधीन गठित ड्राइवर सेवा से है;

(छ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ज) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग—2

संवर्ग

सेवा का संवर्ग

6. प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय में सेवा की सदस्य संख्या, उतनी होगी जितनी यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन समय–समय पर सरकार द्वारा, अवधारित की जाय।

भाग—3

भर्ती

भर्ती का स्रोत

7. सेवा में किसी पद पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

आरक्षण

8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग—4

अर्हताएं

राष्ट्रिकता

9. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित या अधिसूचित की जायें पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और पैंतीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष से अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

प्राविधिक और शैक्षिक अर्हताएं

11. सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :–

(एक) किसी मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; और

(दो) यथास्थिति भारी एवं हल्के माल वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाईसेंस नियम 16 के अधीन रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।

अधिमानी अर्हता

12. अन्य बातों के समान होने पर भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में अधिमान दिया जायगा, जिसने–

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;

(दो) वाहन यान्त्रिकी का ज्ञान हो;

(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

चरित्र

13. सेवा में भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

ास्थिति 14. सेवा में भर्ती के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

ारीरिक स्वस्थता 15. किसी व्यक्ति को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड–बुक, खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

भाग–5

भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण 16. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त सरकार के नियमों और आदेशों के अनुसार रिक्तियाँ सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा और वह प्रमुख समाचार–पत्रों में रिक्तियों को विज्ञापित भी करायेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 17. (1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी; — अध्यक्ष

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी; — सदस्य

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी उसके विभाग या संगठन में उपलब्ध न हों तो ऐसे अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे; — सदस्य

(चार) (1) संबंधित सम्भाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो। — सदस्य

(2) सीधे या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जो ऐसे व्यक्तियों को जो इस नियमावली के अधीन अर्ह हों, साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के लिये बुलायेगा :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति द्वारा शैक्षिक अर्हता एवं वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स की अवधि के आधार पर इतने आवेदकों को साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के लिए बुलायेगी जितना वह उचित समझे।

(3) चयन समिति साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता को उनकी आयु के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग–6

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी चयन में अवधारित की जाय।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु असाधारण परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवाएं उप नियम (3) के अधीन समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण

20. ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि–

(एक) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय;

(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21. ड्राइवर के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायगी।

भाग–7

वेतन आदि

वेतनमान

22. सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

भाग–8

अन्य विनियमन

पक्ष समर्थन

24. सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों, चाहे मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25. ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

26. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और सम्पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अवमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
सचिव।